

-: 1:-

क्लेम प्रकरण क्रमांक 10/2015 एवं  
समेकित क्लेम प्रकरण क्र. 11/2015

**—::न्यायालय: सदस्य मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण, अलीराजपुर**  
**(म0प्र0) ::—**

(पीठासीन अधिकारी— राजेन्द्र कुमार वर्मा)

क्लेम प्र0क्र0 10/2015  
(संस्थित दिनांक 19.02.2015)

1. भीखली बेवा रमेश उर्फ रूमालिया, भीलाला आयु 38 वर्ष,
2. अमलेश पिता रमेश उर्फ रूमालिया भीलाला आयु 14 वर्ष,
3. कु. पिन्दु पिता रमेश उर्फ रूमालिया भीलाला आयु 13 वर्ष,
4. कु. जोसना पिता रमेश उर्फ रूमालिया भीलाला आयु 7 वर्ष,
5. कु. दिव्या पिता रमेश उर्फ रूमालिया भीलाला आयु 4 वर्ष,
6. महेश पिता रमेश उर्फ रूमालिया भीलाला आयु डेढ वर्ष,  
आवे.क्र. 2 लगायत 6 की संरक्षक माता भीखलीबाई बेवा रमेश,
7. खुमलिया पिता हाबजी भीलाला आयु 65 वर्ष,  
सभी निवासीगण ग्राम चिनोठा वाडीया फलिया, तहसील सोण्डवा,  
जिला अलीराजपुर, (म.प्र.)

..... आवेदकगण

क्लेम प्र0क्र0 (11/15)  
(संस्थित दिनांक 19.02.2015)

अमलेश पिता रमेश उर्फ रूमालिया भीलाला आयु 14 वर्ष,  
अवयस्क की संरक्षक माता भीखलीबाई बेवा रमेश उर्फ रूमालिया,  
निवासी ग्राम चिनोठा वाडीया फलिया, तहसील सोण्डवा,  
जिला अलीराजपुर (म.प्र.)

..... आवेदक

**विरुद्ध**

1. वांगरिया पिता छिगला अवास्या भीलाला आयु 28 वर्ष,  
निवासी ग्राम बिछोला हाथी बापा फलिया तहसील सोण्डवा,  
जिला अलीराजपुर (म.प्र.)
2. राधेश्याम पिता जगन्नाथ राठोर आयु 54 वर्ष,  
निवासी कवठु रोड़ अलीराजपुर, तह. व जिला अलीराजपुर (म.प्र.),
3. दि न्यू इण्डिया इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड,  
माइक्रो शाखा गायत्री मंदिर के पास अलीराजपुर (म.प्र.)

.....अनावेदकगण

आवेदकगण द्वारा :—श्री राजेश राठोर अधिवक्ता।  
अना.क्र. 1 द्वारा :—श्री ज्ञानेश्वर परिहार अधिवक्ता।  
अना.क्र. 2 द्वारा :—श्री भरत राठोड अधिवक्ता।  
अना.क्र. 3 द्वारा :—श्री डी.एस. चन्देल अधिवक्ता।

-: 2:-

क्लेम प्रकरण क्रमांक 10/2015 एवं  
समेकित क्लेम प्रकरण क्र. 11/2015

**-//अधिनिर्णय// -**

(आज दिनांक 24 अगस्त सन् 2016 को खुले न्यायालय में सुनाया गया)

1- एक ही घटना से उत्पन्न होने के कारण प्रकरण क्रमांक 10/15 एवं 11/15 को समेकित किया जाकर इन दोनों प्रकरणों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

2- धारा 166 मो0या0अधि0 के अधीन आवेदकगण (क्लेम प्र.क्र. 10/15) ने यह दावा आवेदक क्रमांक 1 के पति, आवेदक क्रमांक 2 लगायत 6 के पिता व आवेदक क्र. 7 के पुत्र रमेश उर्फ रुमालिया की वाहन दुर्घटना में मृत्यु होने के फलस्वरूप 15,00,000/- रु. प्रतिकर, ब्याज एवं वाद व्यय दिलाये जाने हेतु प्रस्तुत किया है।

3- धारा 166 मो0या0अधि0 के अधीन आवेदक अमलेश ने यह दावा (क्लेम प्र.क्र. 11/15) स्वयं को वाहन दुर्घटना में गम्भीर उपहति व स्थाई अशक्तता कारित होने के फलस्वरूप 9,00,000/- रु. प्रतिकर, ब्याज एवं वाद व्यय दिलाये जाने हेतु प्रस्तुत किया है।

4- दोनों ही प्रकरणों में अनावेदक क्रमांक 2 ने दिनांक 19.06.2014 को पिकअप लोडिंग वाहन क्र. एम.पी. 09 जी.ई. 5038 का अना.क्र. 1 का वाहन स्वामी होना स्वीकार किया है।

5- आवेदकगण का दोनों प्रकरणों में समान मामला यह है कि दिनांक 19.06.14 के शाम 3 बजे के लगभग ग्राम सिलोटा हनुमान टेकरी के पास मृतक रमेश उर्फ रुमालिया मोटर सायकिल लेकर अपने पुत्र अमलेश को पीछे बैठाकर उमराली रोड से जा रहा था कि छकतला तरफ से अना.क्र. 1 पिकअप लोडिंग वाहन क्र. एम.पी. 09 जी.ई. 5038 को तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाकर लाया और मृतक रमेश की मोटर सायकिल को टक्कर मार दी, जिससे मृतक व अमलेश मोटर सायकिल सहित गिर गये और दोनों को गम्भीर प्रकृति की चोटे आयी तथा मोटर सायकिल पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गयी।

6- आवेदकगण (क्लेम प्र.क्र. 10/15) के अनुसार रमेश को शासकीय जिला अस्पताल अलीराजपुर में भर्ती किया था, रमेश के सिर, पैर हाथ, चेहरे व शरीर के अन्य भागो पर गम्भीर चोटे आयी थी और उसकी मृत्यु हो गई और मृतक का पोस्ट मार्टम किया गया। मृतक रमेश आवेदक क्रमांक 1 का पति, आवेदक क्रमांक 2 लगायत 6 के पिता व आवेदक क्र. 7 का पुत्र था। मृतक रमेश 35 वर्षीय युवक होकर सुतारी के कार्य से 300 रुपये प्रतिदिन व खेती से 1,00,000 रुपये प्रतिवर्ष आय अर्जित करता था। वाहन के स्वामी अना.क्र. 1 व 2

क्लेम प्रकरण क्रमांक 10/2015 एवं  
समेकित क्लेम प्रकरण क्र. 11/2015

थे और उक्त लोडिंग वाहन अना.क्र. 3 द्वारा बीमित था। आवेदकगण ने उक्त सभी आधारों पर निम्नानुसार प्रतिकर दिलाये जाने की प्रार्थना की गई है :-

1-	मानसिक व शारीरिक कष्ट व क्षति के लिये	5,00,000 / -
2-	आर्थिक कष्ट व क्षति के लिये	5,00,000 / -
3-	आवेदक क्र. 1 को पति प्रेम से व आवे.क्र. 2 लगायत 6 को पिता के प्रेम से व आवे.क्र. 7 को पुत्र प्रेम से वंचित होने की क्षति	3,00,000 / -
4-	अंतिम संस्कार व क्रियाकर्म तथा गाता डालने के लिये	1,30,000 / -
5-	मोटर सायकिल की क्षतिपूर्ति के लिये	70,000 / -
कुल योग		15,00,000 / -

7- आवेदक अमलेश (क्लेम प्रकरण 11/15) के अनुसार घटना के समय उसकी आयु 14 वर्ष थी, उसके दाहिने पैर के घुटने पर गम्भीर प्रकृति की चोट आयी होकर फ्रेक्चर हो गया तथा घुटने की कटोरी टूट गयी है और शरीर के अन्य भाग में भी गम्भीर प्रकृति की चोट आयी और स्थाई अक्षमता आ गई है। आवेदक शासकीय अस्पताल अलीराजपुर में 3 दिन तक भर्ती रहा, उसके बाद आगामी ईलाज हेतु शिव अस्पताल बोडेली ले गये जहां घुटन का आपरेशन कर स्कू डाले गये, इस चोट की वजह से 3 से 4 माह तक आराम करना पडा, आवेदक अपने दैनिक कार्य तथा स्कूल जाने में परेशानी आ रही है, तेजगति से चलने में काफी परेशानी आ रही है और दाहिना पैर घुटने से टेड़ा हो गया है, जो मुठता नहीं सीधा ही रहता है। आवेदक की कार्य क्षमता में कमी आ गयी है। वाहन के स्वामी अना.क्र. 1 व 2 थे और उक्त लोडिंग वाहन अना.क्र. 3 द्वारा बीमित था। उक्त सभी आधारों पर निम्नानुसार प्रतिकर दिलाये जाने की प्रार्थना की गई है :-

1-	आवेदक द्वारा दवाई, ईलाज, खाना खुराक खर्च तथा अटेंडेंट पर हुए व्यय तथा आने जाने पर व्यय के लिये	1,50,000 / -
2-	चोटों के कारण हुई मानसिक एवं शारीरिक पीड़ा के लिये	1,50,000 / -
3-	स्थायी अपंगता तथा गम्भीर स्वरूप की चोटों की क्षति	1,50,000 / -
4-	दैनिक कार्य तथा पढाई नहीं कर पाने की क्षति	1,50,000 / -
5-	चोटों कारण भविष्य की नुकसानी	2,00,000 / -
6-	भविष्य के ईलाज पर होने वाला व्यय	1,00,000
कुल योग		9,00,000 / -

8- दोनों ही प्रकरणों में अनावेदक क्रमांक 1 ने अपने जवाब दावे में दुर्घटना होना, दुर्घटना में मृतक रमेश को गम्भीर उपहति कारित होना, दौराने

क्लेम प्रकरण क्रमांक 10/2015 एवं  
समेकित क्लेम प्रकरण क्र. 11/2015

उपचार उसकी मृत्यु कारित होना, अमलेश को गम्भीर उपहति तथा स्थाई अशक्तता कारित होना आदि सभी अभिवचनो को अस्वीकार करते हुए विशेष कथन किया है कि आवेदकगण द्वारा अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर अतिशयोक्तिपूर्ण मनगढ़ंत निराधार क्षतिपूर्ति दर्शाई है। उक्त पिकअप वाहन अनावेदक क्रमांक 3 के यहां बीमित था तथा घटना दिनांक को वाहन चालक के पास प्रभावी ड्रायविंग लायसेंस था। अनावेदक क्रमांक 1 की कोई जिम्मेदारी क्षतिपूर्ति बाबद नहीं आती है। उक्त सभी आधारों पर दावे सव्यय निरस्त किये जाने की प्रार्थना की हैं।

9— दोनो ही प्रकरणों में अना.क्र. 2 ने अपने जवाब दावो में दुर्घटना होना, दुर्घटना में मृतक रमेश को गम्भीर उपहति कारित होना, दौराने उपचार उसकी मृत्यु कारित होना, अमलेश को गम्भीर उपहति तथा स्थाई अशक्तता कारित होना आदि सभी अभिवचनो को अस्वीकार करते हुए विशेष कथन किया है कि अना.क्र. 2 ने उक्त वाहन दिनांक 28.01.2013 को अना.क्र. 1 को विक्रय कर दिया था। अना.क्र. 1 से इकरारनामा लिखवाकर नोटरी से तस्दीक करवा लिया था और अना. क्र. 2 ने वाहन संबंधी कागजात, ट्रांसफर पेपर फार्म नं. 29 व 30 एवं एन.ओ.सी. पर हस्ताक्षर कर अना.क्र. 1 को दे दिये थे। उक्त इकरारनामों की शर्त अनुसार दिनांक 28.01.13 से उक्त वाहन से दुर्घटना, क्लेम क्षतिपूर्ति राशि आदि समस्त जवाबदारी अना.क्र. 1 की है, दुर्घटना में अंतर्ग्रस्त वाहन को अना.क्र.0.1 ने न्यायालय से बतोर मालिक कब्जेदार एवं रजिस्टर्ड ऑनर के रूप में सुपुर्दगीनामे पर लिया गया है। अना.क्र. 2 उक्त वाहन का स्वामी नहीं होने से क्षतिपूर्ति राशि अदायगी हेतु जवाबदार नहीं है और उक्त वाहन के विक्रय संबंधी इकरारनामा व अन्य दस्तावेज की प्रतिलिपि संलग्न की गई है। उक्त सभी आधारों पर दावे सव्यय निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।

10— अनावेदक क्रमांक 3 ने दोनो ही प्रकरणों में अपने जवाब दावो में दुर्घटना होना, दुर्घटना में रमेश व अमलेश को गम्भीर उपहति कारित होना, रमेश की दौराने उपचार मृत्यु होना, उपचार होना व उपचार में व्यय होना, मृतक रमेश 35 वर्षीय युवक होकर सुतारी के कार्य से 300 रुपये प्रतिदिन व खेती से 1,00,000 रुपये प्रतिवर्ष आय अर्जित करता था, आदि सभी अभिवचनो को अस्वीकार करते हुए, विशेष कथन किया है कि आवेदकगण द्वारा आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज जैसे प्रथम सूचना रिपोर्ट, नक्शा मौका तथा पोस्ट मार्टम रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किये हैं, उक्त दस्तावेजों के अभाव में दावा चलने योग्य न होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। घटना दिनांक को उक्त वाहन अना.क्र.2 के नाम से बीमित नहीं था। बीमा पालिसी धारा 64 व्ही.बी. बीमा अधि0 के अधीन प्रमाणित नहीं की जाती तब तक उसके विरुद्ध किसी भी प्रकार की जवाबदारी पारित नहीं की जावे, उक्त दुर्घटना की सूचना वाहन स्वामी द्वारा नहीं दी गयी तथा और न ही वाहन से संबंधित कागजात व ड्रायविंग लायसेंस दिये हैं।



क्लेम प्रकरण क्रमांक 10/2015 एवं  
समेकित क्लेम प्रकरण क्र. 11/2015

11— अना.क्र. 3 के अनुसार उक्त दुर्घटना स्वयं आवेदक की लापरवाही एवं गलती से हुई थी। उक्त दुर्घटना किसी अज्ञात वाहन तथा उसके अज्ञात चालक से हुई थी, परन्तु आवेदकगण क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के लिये पुलिस से मिलकर झूठा प्रकरण बनवाया है। उक्त वाहन को वाहन स्वामी द्वारा दुर्घटना के समय मो0 यान अधि0 एवं रूल्स तथा रजिस्ट्रेशन की शर्तों के विपरीत बिना परमिट एवं फिटनेस के चलाया जा रहा था, जो कि रजिस्ट्रेशन एवं बीमा पालिसी की शर्तों का उल्लंघन किया गया। अनावेदक क्रमांक 1 पास वैध एवं प्रभावी ड्रायविंग लायसेंस नहीं था, मृतक की स्वयं की तथा उक्त वाहन के चालक दोनों चालको की असावधानी निर्धारित कि जाये तथा जिस चालक की जिस अनुपात में असावधानी आती हो उस अनुपात में अवार्ड पारित किया जावे। उक्त सभी आधारों पर दावे सव्यय निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

12— दोनों प्रकरणों में मेरे विद्वान पूर्वाधिकारी द्वारा विरचित वाद विषय और उनके संबंध में मेरे विनिश्चय निम्नानुसार है, विनिश्चय संबंधी आधारों की विवेचना आगामी पदों में की गई है:—

**क्लेम प्र.क्र. 10/15**

क्र.	वाद विषय	विनिश्चय
1.	क्या अना.क्र.1 ने दिनांक 19.06.14 को शाम 3 बजे के लगभग ग्राम सिलोटा हनुमान टेकरी के पास उमराली सार्वजनिक मार्ग, अंतर्गत थाना बखतगढ जिला अलीराजपुर पर अना. क्र. 2 के स्वात्वाधिकार के वाहन तथा अना.क्र. 3 के यहां बीमित पीकअप लोडिंग वाहन क्र. एम.पी. 09 जी.ई. 5038 को तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाकर अपनी साईड से सामने से आ रही मृतक रमेश उर्फ रूमालिया की मोटर सायकिल को टक्कर मार दिया?	प्रमाणित
2.	क्या दुर्घटना में आयी गम्भीर चोटों की वजह से मृतक रमेश उर्फ रूमालिया की मृत्यु हुई?	प्रमाणित
3.	क्या अना.क्र. 1 के पास दुर्घटना के समय दुर्घटनाग्रस्त वाहन को चलाने का वैध एवं प्रभावी लायसेंस नहीं था?	प्रमाणित
4.	क्या अना. क्र. 1 व 2 द्वारा दुर्घटना के समय दुर्घटनाग्रस्त वाहन को बिना वैध परमिट के चलाकर बीमा पॉलिसी की	प्रमाणित

-: 6:-

क्लेम प्रकरण क्रमांक 10/2015 एवं  
समेकित क्लेम प्रकरण क्र. 11/2015

	शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा था?	
5.	क्या अना.क्र. 2 द्वारा दुर्घटना कारित करने वाले वाहन एम.पी.-09 जी.ई. 5038 को दुर्घटना के पूर्व अना.क्र. 1 को विक्रय कर दिया था, यदि हां तो प्रभाव?	प्रमाणित नहीं
6—	क्या आवेदकगण उक्त दुर्घटना में रमेश उर्फ रुमालिया की मृत्यु से हुई नुकसानी की क्षतिपूर्ति के रूप में अनावेदकगण से रुपये 15,00,000 की राशि प्राप्त करने के अधिकारी है?	आवेदकगण अनावेदक क्र. 1 व से मात्र 7,11,000 /— रुपये प्रतिकर पाने का पात्र है
7—	सहायता एवं व्यय?	पद क्र. 43 के अनुसार

**क्लेम प्र.क्र. 11/15**

क्र.	वाद विषय	विनिश्चय
1.	क्या अना.क्र.1 ने दिनांक 19.06.14 को शाम 3 बजे के लगभग ग्राम सिलोटा हनुमान टेकरी के पास उमराली सार्वजनिक मार्ग, अंतर्गत थाना बखतगढ जिला अलीराजपुर पर अना.क्र. 2 के स्वात्वाधिकार के वाहन तथा अना.क्र. 3 के यहां बीमित पीकअप लोडिंग वाहन क्र. एम.पी. 09 जी.ई. 5038 को तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाकर अपनी साईड से सामने से आ रही मृतक रमेश उर्फ रुमालिया की मोटर सायकिल के पीछे बैठे आवेदक को टक्कर मार दिया?	प्रमाणित
2.	क्या आवेदक अमलेश दुर्घटना में आयी चोटों की वजह से स्थाई रूप से अपंग हो गया?	प्रमाणित
3.	क्या अना.क्र. 1 के पास दुर्घटना के समय दुर्घटनाग्रस्त वाहन को चलाने का वैध एवं प्रभावी लायसेंस नहीं था?	प्रमाणित
4.	क्या अना. क्र. 1 व 2 द्वारा दुर्घटना के समय दुर्घटनाग्रस्त वाहन को बिना वैध परमिट के चलाकर बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा था?	प्रमाणित

क्लेम प्रकरण क्रमांक 10/2015 एवं  
समेकित क्लेम प्रकरण क्र. 11/2015

5.	क्या अना.क्र. 2 द्वारा दुर्घटना कारित करने वाले वाहन एम.पी.-09 जी.ई. 5038 को दुर्घटना के पूर्व अना.क्र. 1 को विक्रय कर दिया था, यदि हां तो प्रभाव?	प्रमाणित नहीं
6—	क्या आवेदक दुर्घटना में आयी चोटों के ईलाज, पोष्टिक आहार, आने जाने पर हुए व्यय तथा मानसिक व शारीरिक कष्ट तथा पढ़ाई से हुई नुकसानी की क्षतिपूर्ति के रूप में अनावेदकगण से रुपये 9,00,000 की राशि प्राप्त करने के अधिकारी है?	आवेदकगण अनावेदक क्र. 1 व 2 से मात्र 1,48,500/— रुपये प्रतिकर पाने का पात्र है
7—	सहायता एवं व्यय?	पद क्र. 44 के अनुसार

**—:विनिश्चय संबंधी आधार:—**

**वाद विषय क्रमांक:-1 (क्लेम प्र.क्र. 10/15 व 11/15)**

13— (आ.सा.-1) भीखलीबाई शपथ पत्र पर प्रस्तुत मुख्य परीक्षण में अपने अभिवचनों की पुष्टि करते हुए बताती है कि मृतक रमेश उर्फ रुमालिया उसका पति था और आवेदक अमलेश उसका पुत्र है। दिनांक 19.06.14 को उसका पति मोटर सायकिल से ग्राम चनोठा से छकतला तरफ जा रहा था और अमलेश पीछे बैठा हुआ था, 3 बजे करीब अना.क्र. 1 ने ग्राम सिलाटा हनुमान टेकरी के पास उमराली रोड़ पर छकतला की ओर से पीकअप वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाते हुए लाकर सही साईड पर चला रहे उसके पति रमेश की मोटर सायकिल को टक्कर मार दी, फलतः उसके पति रमेश व अमलेश को गम्भीर चोटें आयी, सारी घटना नसरीया ने देखी और दोनों को ईलाज हेतु शासकीय जिला अस्पताल अलीराजपुर लाया गया, जहां दौराने उपचार रमेश की मृत्यु हो गई और अमलेश का 3 दिन अलीराजपुर अस्पताल में ईलाज चला और बाद में उसे गुजरात के बोडेली शहर के शिव अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां वह 10 दिन भर्ती रहा और उसके घुटने की कटोरी पूरी तरह टूट जाने की वजह से आपरेशन किया गया, बाद में फिर घुटने का आपरेशन किया गया तथा लगभग 5-6 दिनों तक भर्ती रहा था और घर पर 3-4 माह आराम करना पड़ा।

14— (आ.सा.-1) भीखली के अनुसार दाण्डिक प्रकरण से प्राप्त प्रमाणित प्रतिलिपियां प्र.पी.-1 अंतिम प्रतिवेदन, प्र.पी.-2 प्रथम सूचना रिपोर्ट, प्र.पी.-3 शव पंचायतनामा, प्र.पी.-4 नक्शा मौका, प्र.पी.-5 गिरफ्तारी पत्रक, प्र.पी.-6 वाहन जप्ती, प्र.पी.-7 सम्पत्ति जप्ती, प्र.पी.-8 मोटर सायकिल नुकसानी पंचनामा, प्र.पी.-9 शव परीक्षण आवेदन, प्र.पी.-10 शव परीक्षण रिपोर्ट, प्र.पी.-11 मृतक की एम.एल.सी. है तथा आवेदक अमलेश प्र.पी.-12 प्री एम.एल.सी., प्र.पी.-13 एक्सरे रिपोर्ट व प्र.पी.-14 एक्सरे प्लेट प्रस्तुत की है। अपने प्रतिपरीक्षण में (आ.सा.-1) भीखली इस बात को सही बताती है कि घटना उसके सामने नहीं घटी थी।

क्लेम प्रकरण क्रमांक 10/2015 एवं  
समेकित क्लेम प्रकरण क्र. 11/2015

15— (आ.सा.—3) नसरीया स्वयं द्वारा घटना देखने की पुष्टि करते हुए बताता है कि वह अपने सड़क किनारे के खेत पर था तभी अना.क्र. 1 ने तेजी व लापरवाही से पीकअप वाहन को चलाते हुए लाया और सही साईड पर मोटर सायकिल चला रहे रमेश को टक्कर मार दी, दुर्घटना में रमेश व उसके पुत्र अमलेश को गम्भीर चोटें आयी तथा मोटर सायकिल भी टूट-फूट गयी। (आ.सा.—3) नसरीया के अनुसार वह घटना की सूचना देने ग्राम चनोटा रमेश के घर गया और वांगरिया अपनी पीकअप लेकर भाग गया। (आ.सा.—3) नसरीया के अनुसार दोनों को आयी हुई चोटों के ईलाज हेतु शासकीय अस्पताल अलीराजपुर लाया गया।

16— अना.क्र. 1 द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण में (आ.सा.—3) नसरीया इस बात को गलत बताता है कि उसने कोई दुर्घटना नहीं देखी और घटना की जानकारी उसे बाद में हुई थी, इस बात को भी गलत बताता है कि अज्ञात जीप वाले ने टक्कर मारी थी। अना.क्र. 2 द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण में (आ.सा.—3) नसरीया इस बात को सही बताता है कि दुर्घटनाग्रस्त वाहन को 6 माह पहले से वांगरिया ही चला रहा था। अना.क्र. 3 द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण में (आ.सा.—3) नसरीया इस बात को सही बताता है कि दुर्घटना के समय वाहन वांगरिया द्वारा चलाया जा रहा था।

17— अना.क्र. 1 के विरुद्ध दाण्डिक प्रकरण लम्बित है तथा प्रस्तुत आवेदक साक्ष्य पर अविश्वास का कोई कारण नहीं है। इस प्रकार प्रस्तुत आवेदक साक्ष्य से प्रमाणित है कि अना.क्र. 1 ने ही पीकअप वाहन क्र. एम.पी. 09 जी.ई. 5038 को उपेक्षा व उतावलेपन से चलाकर मोटर सायकिल को टक्कर मारकर रमेश व अमलेश को दुर्घटनाग्रस्त किया। तदनुसार यह वाद विषय सकारात्मक रूप में विनिश्चित किया जाता है।

**वाद विषय क्र. 2 (क्लेम प्र.क्र.10/15)**

18— प्र.पी.—10 की पोस्ट मार्टम रिपोर्ट से प्रमाणित है कि रमेश को दुर्घटना में अनेक बाह्य व आंतरिक चोटें आयी और दुर्घटना के फलस्वरूप उसकी मृत्यु कारित हुई। इस प्रकार दुर्घटना में आयी चोटों के फलस्वरूप ही मृतक रमेश की मृत्यु कारित हुई, यह आवेदक साक्ष्य से प्रमाणित है। तदनुसार यह वाद विषय सकारात्मक रूप में विनिश्चित किया जाता है।

**वाद विषय क्रमांक 2 (क्लेम प्र.क्र. 11/15)**

19— प्र.पी.—12 की प्री एम.एल.सी. रिपोर्ट एवं प्र.पी.—13 की एक्सरे रिपोर्ट से प्रमाणित है कि आवेदक अमलेश को दुर्घटना में दांये घुटने और दांयी कलाई पर चोटें आयी और दांये घुटने में अस्थि भंग पाया गया। इस प्रकार प्रस्तुत आवेदक साक्ष्य से प्रमाणित है कि अना.क्र. 1 द्वारा उपेक्षा व उतावलेपन से वाहन चलाया और अमलेश को दुर्घटनाग्रस्त कर गम्भीर उपहति कारित की। जहां तक आवेदक अमलेश को स्थाई अशक्तता कारित होने का प्रश्न है। (आ.सा.—1)



क्लेम प्रकरण क्रमांक 10/2015 एवं  
समेकित क्लेम प्रकरण क्र. 11/2015

भीखली के अनुसार अमलेश का दाया पैर घुटने से टेडा हो चुका है, पैर मुड़ता नहीं सीधा ही रहता है और दैनिक कार्य में भी काफी परेशानी आती है, आलती-पालती नहीं लगती, शौच के लिये नहीं बैठ पाता है, अधिक चलना, दौड़ना पहाड़ चढ़ना व चढ़ाव चढ़ने में काफी परेशानी होती है। (आ.सा.-1) भीखली के अनुसार अमलेश का स्थाई अशक्तता प्रमाण पत्र प्र.पी.-19 है।

20- (आ.सा.-1) भीखली इस बात की जानकारी न होना बताती है कि अमलेश का ईलाज करने वाले डॉक्टर से स्थाई अशक्तता प्रमाण पत्र लेने गये थे, तो उन्होंने प्रमाण पत्र देने से मना कर दिया था, इस कारण अलीराजपुर अस्पताल के डॉक्टर से प्रमाण पत्र लिया है। (आ.सा.-2) के.सी. गुप्ता दिनांक 19.06.14 को हुई वाहन दुर्घटना में अमलेश का एक्सरे परीक्षण कर रिपोर्ट उनके द्वारा दी गई जो प्र.पी.-13 है और उक्त रिपोर्ट के अनुसार अमलेश के दाहिने जांघ की फीमर हड्डी में अस्थि भंग हुआ था, बाद में बोडेली के अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां आपरेशन करके स्कू लगाये गये।

21- (आ.सा.-2) डॉ. के.सी. गुप्ता के अनुसार दिनांक 19.03.16 को जिला अस्पताल अलीराजपुर में अमलेश का स्थाई अक्षमता आकलन के लिये परीक्षण किया था और अमलेश ने बताया था कि दुर्घटना में हुए अस्थि भंग से उसकी चाल में लंगडापन आ गया है। (आ.सा.-2) डॉ. के.सी. गुप्ता ने पाया था कि अमलेश की चाल में लचक थी और दाहिनी जांघ के नीचले भाग में आपरेशन के घाव का निशान मौजूद था तथा उसके दाहिने घुटने के आकार में विकृति थी और उसके दाहिने घुटने की गतिशीलता 40 प्रतिशत कम थी तथा वह आलती-पालती मारकर घुटनो के बल नहीं बैठ पा रहा था और दाहिने घुटने का एक्सरे लिया था, जो प्र.पी.-20 है। (आ.सा.-2) डॉ. के.सी. गुप्ता के अनुसार उसने अमलेश के दाहिने पैर में 37 प्रतिशत स्थाई अक्षमता होना पायी थी, जो अस्थि भंग तथा इससे होने वाले सॉफ्ट टिसु प्रभाव के कारण हुई, और उसके द्वारा दिया गया स्थाई अक्षमता का प्रमाण पत्र प्र.पी.-19 है।

22- अपने प्रतिपरीक्षण में (आ.सा.-2) डॉ. के.सी. गुप्ता इस बात को सही बताता है कि आवेदक को अस्थि में किसी प्रकार का नॉन युनियन अथवा माल युनियन नहीं था और अस्थि अच्छी तरह से जुड़ गई थी तथा उसमें किसी प्रकार का छोटापन नहीं था, इस बात को गलत बताता है कि लिपिंग अस्थि के छोटे होने पर ही होती है, स्वयं कहता है कि जोड़ के मूमेन्ट प्रभावित होने की वजह से भी हो सकती है, इस बात को भी सही बताता है कि आवेदक को आयी अक्षमता प्रभावित अंग की है, पूरे शरीर की नहीं, इस बात को सही बताता है कि पूरे शरीर में कितने प्रतिशत अक्षमता आयी वह नहीं बता सकता, इस बात को सही बताता है कि आवेदक को आयी अक्षमता आंशिक स्वरूप की है और अक्षमता के आकलन में दोनो और विभिन्न पद्धतियों से जांच करने पर 2-3 प्रतिशत का अंतर आना सम्भव है। इस बात को गलत बताता है कि ईलाज करने वाला डॉक्टर अक्षमता

क्लेम प्रकरण क्रमांक 10/2015 एवं  
समेकित क्लेम प्रकरण क्र. 11/2015

का आंकलन अच्छी तरह से कर सकता है, स्वयं कहता है कि कोई भी अस्थि रोग विशेषज्ञ अक्षमता का आंकलन कर सकता है।

23— इस प्रकार (आ.सा.-2) डॉ. के.सी. गुप्ता के कथनों से प्रमाणित है कि आवेदक के दाये पैर में लचकपन आया, किन्तु (आ.सा.-2) डॉ. के.सी. गुप्ता द्वारा स्थाई अक्षमता का जो आंकलन किया गया वह अंग विशेष के लिये है न कि पूरे शरीर के लिये और अ.सा.-2 डॉ. के.सी. गुप्ता कहता है कि यह कितने प्रतिशत है वह नहीं बता सकता। कोई अस्थि रोग विशेषज्ञ पूरे शरीर के मान से स्थाई अक्षमता आंकलित करने में अक्षमता व्यक्त करे, यह अपने आप में यही प्रकट करता है कि आवेदक को पूरे शरीर के मान से ही कितने प्रतिशत स्थाई अक्षमता कारित हुई, इस संबंध में यह साक्षी जानबूझकर नहीं बता रहा है, आवेदक की आयु 14 वर्ष बताई गयी है। अतः विचारोपरांत यह पाया जाता है कि आवेदक को पूरे शरीर के मान से 10 प्रतिशत स्थाई अक्षमता कारित हुई। तदनसार यह वाद विषय सकारात्मक रूप में विनिश्चित किया जाता है।

### **वाद विषय क्रमांक 3 (क्लेम प्र.क्र. 10/15 व 11/15)**

24— यह वाद विषय अनावेदक क्रमांक 3 को सिद्ध करना है, इस संबंध में अनावेदक क्रमांक 3 की ओर से (अना.सा.-2) महेश पाल, सहायक ग्रेड-3 आर.टी. ओ. कार्यालय अलीराजपुर के अनुसार वांगरिया पिता छिंगला निवासी बिछौली के नाम पर दिनांक 05.11.12 को लायसेंस क्रमांक एम.पी.-69 एन-2012-0001600 जो दिनांक 05.11.2012 से दिनांक 04.11.2032 तक की अवधि के लिये होकर उक्त लायसेंस हल्का मोटरयान नॉन ट्रांसपोर्ट तथा मोटर सायकिल विथ गेयर के लिये जारी किया गया था, उक्त व्यक्ति की अनुज्ञप्ति हल्का मोटरयान ट्रांसपोर्ट वाहन चलाने के लिये अधिकृत नहीं था, असल रिकार्ड से निकाली गई सत्यापित प्रतिलिपि प्र.डी.-7 है।

25— अपने प्रतिपरीक्षण में (अना.सा.-2) महेश पाल इस बात को गलत बताता है कि उक्त व्यक्ति हल्का व्यावसायिक वाहन चला सकता है, इस बात को भी गलत बताता है कि हल्का मोटरयान में सभी तरह के मोटरयान सम्मिलित है, स्वयं कहता है कि हल्के मोटरयान में व्यावसायिक तथा गैर व्यावसायिक वाहन आते हैं। (अना.सा.-2) महेश पाल अपने प्रतिपरीक्षण में कहता है कि हल्का मोटरयान नॉन ट्रांसपोर्ट वाहन चालक केवल नॉन ट्रांसपोर्ट वाहन चला सकता है, व्यावसायिक वाहन नहीं चला सकता, इस बात को भी गलत बताता है कि हल्का मोटरयान नॉन ट्रांसपोर्ट ड्रायविंग लायसेंसधारी व्यक्ति 7500 किलो वजन तक सभी वाहन चला सकता है, चाहे वह व्यावसायिक वाहन हो या अन्य।

26— (अना.सा.-3) कृष्णराव अम्बोरे सहा.प्रशा.अधिकारी के अनुसार अना.क्र. 1 के पास वाहन चलाने का वैध एवं प्रभावी ड्रायविंग लायसेंस नहीं था, (अना.सा.-3) कृष्णराव अम्बोरे अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार करता है कि दुर्घटना कारक वाहन एल.एम.व्ही गुड्स श्रेणी का वाहन है। इस प्रकार अना.क्र. 1 के पास हल्का मोटरयान व्यावसायिक चलाने का वैध एवं प्रभावी लायसेंस नहीं है।

क्लेम प्रकरण क्रमांक 10/2015 एवं  
समेकित क्लेम प्रकरण क्र. 11/2015

27— अना.क्र. 2 की ओर से न्याय दृष्टांत कुलवंतसिंह व अन्य ओरियन्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमि. 2015 (3) एम.पी.एल.जे. 1 (सु.को.) पर निर्भर किया है, जिसमें यह पाया गया कि हल्का मोटर यान के अधीन हल्का यात्री वाहन और हल्का मालवाहन मालवाहक यान दोनों आते हैं और जब हल्का मोटरयान वाहन ड्रायवर के पास वैध ड्रायविंग लायसेंस था तो बीमा पालिसी की शर्त का उल्लघन नहीं हुआ था।

28— अना.क्र. 3 ने इस संबंध में न्याय दृष्टांत ओरियन्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमि. विरुद्ध अंगद कोल व अन्य 2009 ए.सी.जे. 1411 (सु.को.) पर निर्भर किया है, जिसमें हल्का मोटर यान एवं मालवाहन के बीच अंतर किया गया कि ड्रायवर को 20 साल के लिये हल्का मोटर वाहन चलाने के लिये लायसेंस दिया गया था, जिससे यह उपधारणा की जावेगी कि यह मालयान वाहन से भिन्न वाहन चलाने के लिये लायसेंस लिया गया है क्योंकि मालवाहन चलाने के लिये लायसेंस की अवधि 3 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती। अना.क्र. 2 द्वारा निर्भर न्याय दृष्टांत में अंगद कोल के इस मामले पर विचार नहीं किया गया है प्रस्तुत मामले में भी अना. क्र. 1 को 20 वर्ष के लिये हल्का मोटरयान चलाने का लायसेंस दिया गया है अर्थात् यह लायसेंस मालवाहक वाहन चलाने के लिये नहीं हो सकता और यही उपधारणा की जावेगी कि यह लायसेंस मालवाहक वाहन से चलाने के लिये भिन्न है।

29— उक्त विवेचन के आधार पर यह प्रमाणित है कि अना.क्र.1 के पास हल्का मोटरयान— गैर मालवाहक वाहन चलाने का लायसेंस था, न कि हल्का मोटर यान— मालवाहक वाहन चलाने का। इस प्रकार अना.क्र. 3 की साक्ष्य से प्रमाणित है कि दुर्घटना के समय अना.क्र. 1 के पास वैध एवं प्रभावी ड्रायविंग लायसेंस नहीं था। तदनुसार यह वाद विषय सकारात्मक रूप से विनिश्चित किया जाता है।

**वाद विषय क्रमांक 4 (क्लेम प्र.क्र. 10/15 व 11/15)**

30— (अना.सा.—3) कृष्णराव अम्बोरे के अनुसार अना.क्र. 1 द्वारा बिना वैध एवं प्रभावी लायसेंस के कारण बीमा पालिसी की शर्तों का उल्लघन हुआ है। अतः बीमा पालिसी की क्षतिपूर्ति हेतु कोई जवाबदारी नहीं आती। प्र.डी.—8 बीमा पालिसी से प्रकट है कि वाहन चालक के पास वैध एवं प्रभावी लायसेंस आवश्यक है, जबकि प्रस्तुत मामले में अना.क्र.1 के पास वैध एवं प्रभावी लायसेंस नहीं पाया गया इस प्रकार बीमा पालिसी की शर्तों का उल्लघन किया जाना प्रमाणित होता है। तदनुसार यह वाद विषय सकारात्मक रूप से विनिश्चित किया जाता है।

**वाद विषय क्रमांक 5 (क्लेम प्र.क्र. 10/15 व 11/15)**

31— (अना.सा.—1) राधेश्याम राठौर स्वयं अना.क्र. 2 के अनुसार महिन्द्रा बोलेरो वाहन क्रमांक एम.पी. 09 जी.ई. 5038 का रजिस्ट्रेशन उसके नाम से था दिनांक 28.01.13 को उक्त वाहन अना.क्र. 1 वांगरिया को विक्रय कर दिया था

क्लेम प्रकरण क्रमांक 10/2015 एवं  
समेकित क्लेम प्रकरण क्र. 11/2015

और कब्जा भी दे दिया था, विक्रय संबंधी इकरारनामा लिखवाकर नोटरी से तस्दीक भी कराया था। वाहन के रजिस्ट्रेशन संबंधी कागजात, बीमा पालिसी एवं वाहन के ट्रांसफर संबंधी पेपर फार्म नं. 29 एवं 30 एवं एन.ओ.सी. पर हस्ताक्षर कर अना.क्र. 1 वांगरिया को दे दिये थे। इकरारनामा की शर्त के अनुसार विक्रय दिनांक 28.01.13 से वाहन के दुर्घटना संबंध पुलिस प्रकरण क्लेम क्षतिपूर्ति राशि की अदायगी संबंधी समस्त जवाबदारी अना.क्र. 1 वांगरिया की है। उक्त इकरारनामा की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.डी.-1 है। अना.क्र. 1 द्वारा दिया गया सुपुर्दगी आवेदन प्र.डी.-2 तथा न्यायालय जे.एम.एफ.सी. अलीराजपुर में अनावेदक वांगरिया द्वारा लिया गया सुपुर्दगीनामा एवं फार्म नं. 9 क्रमशः प्र.डी. 3 एवं 4 है। अना.क्र. 1 द्वारा दी गई सुपुर्दगी रसीद प्र.डी.-5 है।

32— अपने प्रतिपरीक्षण में (अना.सा.-1) राधेश्याम राठोर इस बात को सही बताता है कि घटना दिनांक को रजिस्ट्रेशन उसके नाम से ही था, इस बात को सही बताता है कि वाहन विक्रय करने के पश्चात वांगरिया द्वारा रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर न कराने के संबंध में उसने वाहन क्रेता को कोई नोटिस नहीं दिया था। इस बात को गलत बताता है कि वांगरिया पर प्रतिफल पेटे रू. बकाया होने से उसने वाहन उसके नाम ट्रांसफर नहीं कराया था। (अना.सा.-1) अपने प्रतिपरीक्षण में इस बात को सही बताता है कि प्र.डी.-1 के सौदालेख अनुसार प्रतिफल पेटे 40,000 रू. क्रेता की ओर बकाया था, स्वयं कहता है कि एक महीने बाद उसे मिले गये थे, इस बात को सही बताता है कि इस संबंध में प्र.डी.-1 पर कोई उल्लेख नहीं है और न ही इस संबंध में दूसरा दस्तावेज पेश किया है, इस बात को सही बताता है कि वाहन का रजिस्ट्रेशन व बीमा स्वयं उसके ही नाम से था।

33— उक्त विवेचन से प्रकट है कि घटना दिनांक को वाहन का अना.क्र. 2 ही वाहन का रजिस्टर्ड स्वामी था, भले ही उसके द्वारा प्र.डी.-1 के सौदालेख अनुसार अना.क्र.1 वांगरिया को विक्रय किया गया हो, किन्तु प्र.डी.-1 के ही कंडिका 5 के अनुसार 3 माह के भीतर वाहन का ट्रांसफर क्रेता को कराना था, 3 माह में वाहन का रजिस्ट्रेशन हुआ हो ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः विचारोपरांत यह पाया जाता है कि अना.क्र. 2 द्वारा दिनांक 28.01.13 को अना.क्र. 1 को वाहन का विक्रय पूर्ण नहीं हुआ था और इस विक्रय का अना.क्र. 2 के दायित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तदनुसार यह वाद विषय नकारात्मक रूप से विनिश्चित किया जाता है।

#### **वाद विषय क्रमांक 6 (क्लेम प्र.क्र. 10/15)**

34— (आ.सा.1) भीखली के अनुसार उसका पति खेती के साथ-साथ सुतारी का कार्य करता था, जिससे प्रतिदिन 300 रुपये की आय अर्जित करता था और खेती से वर्ष में 1,00,000 रू. कमाई कर लेता था। अपने प्रतिपरीक्षण में (आ.सा.1) भीखली इस बात को सही बताता है कि उसने अपने पति की आय के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किये हैं। उल्लेखनीय है कि खेती करना बताया जाता है, किन्तु कृषि भूमि होने के संबंध में कोई राजस्व दस्तावेज प्रस्तुत



क्लेम प्रकरण क्रमांक 10/2015 एवं  
समेकित क्लेम प्रकरण क्र. 11/2015

नहीं किये गये हैं। इस प्रकार आवेदकगण ने कोई ऐसी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है, जिससे यह प्रमाणित होता हो कि मृतक सुतारी के कार्य से 300 रु. व खेती के कार्य से 1,00,000 रु. आय अर्जित करता था, किन्तु एक सामान्य मजदूर भी 4000 रु. प्रतिमाह आय अर्जित कर सकता है। अतः मृतक की आय **4000** रु. प्रतिमाह निर्धारित की जाती है।

35— दावे में मृतक की आयु लगभग 35 वर्ष बतायी गई है, प्र.पी.-10 पोस्टमार्टम प्रतिवेदन और प्र.पी. 11 की प्री एम.एल.सी. में मृतक की आयु 35 वर्ष बतायी गई है, किन्तु स्वयं आवेदक क्र. 1 रमेश की पत्नी भीखली की आयु 38 वर्ष और सबसे बड़े पुत्र अमलेश की आयु 14 वर्ष बताई गई है। मृतक की आयु के संबंध में आवेदकगण ने कोई दस्तावेज यथा— आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, राशन कार्ड आदि प्रस्तुत नहीं किया है। अतः विचारोपरांत मृतक की आयु 35 वर्ष से उपर 40 वर्ष तक आंकी जाती है। न्याय दृष्टांत श्रीमती सरलाबाई व अन्य वि. दिल्ली ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन व अन्य 2009 एस.सी.जे. 1298 सु.को. के प्रकाश में मृतक पर आश्रितों की संख्या को देखते हुए स्वयं के व्यय के लिए 1/4 कम किया जाकर, आवेदकगण की आश्रितता निर्धारित किया जाना न्यायोचित है तथा मृतक की आयु को देखते हुए 15 का गुणांक लगाया जाना उचित है।

36— आवेदक क्रमांक 1 मृतक की विधवा है। अतः न्याय दृष्टांत राजेश वि. राजवीर 2013 एस.सी.जे. 1403 (सु.को.) के प्रकाश में आवेदक क्रमांक 1 साहचर्य की हानि हेतु 1,00,000 रुपये प्रतिकर पाने की पात्र हैं। आवेदकगण अंतिम संस्कार व्यय हेतु 25,000 रुपये प्रतिकर भी पाने के पात्र हैं। पोस्टमार्टम अलीराजपुर में हुआ मृतक के शव को ले जाने में व्यय हुआ होगा। अतः इस मद में आवेदकगण 1000 रु. प्रतिकर पाने के पात्र है। आवेदक क्र. 2,3,4,5 व 6 सभी अवयस्क हैं, जो अपने पिता की देखभाल व वात्सल्य प्रेम से वंचित हुए, अतः इस मद में आवेदकगण 25,000/- रु. प्रतिकर पाने के पात्र है।

37— (आ.सा.-1) भीखली के अनुसार मोटर सायकिल भी पूरी तरह टूट फुट गई थी, जिसमें 50,000 रु. का खर्चा आया, यद्यपि (आ.सा.-1) भीखली का उक्त कथन अनाक्षेपित है और आवेदक साक्ष्य में प्र.पी.-8 का जो नुकसानी पंचनामा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें मोटर सायकिल क्र. एम.पी. 45 एम.सी. 6899 में लगभग 20,000 रु. का नुकसान होना बताया गया है। अतः विचारोपरांत आवेदकगण मोटर सायकिल नुकसानी के मद में **20,000** रु. पाने का पात्र है। इस प्रकार उक्त विवेचन के आधार पर आवेदकगण निम्नानुसार प्रतिकर पाने के पात्र है:—

क्र.	शीर्षक	गणना
1—	मृतक की आय	4,000/- प्रतिमाह
2—	भविष्य की सम्भावना	कुछ नहीं।

-: 14:-

क्लेम प्रकरण क्रमांक 10/2015 एवं  
समेकित क्लेम प्रकरण क्र. 11/2015

3—	व्यक्तिगत जीवन निर्वाह खर्च की कटौती 1/4 राशि	4000—1000=3000
4—	15 का गुणांक प्रयुक्त करने पर प्रतिकर	3000X12X15=5,40,000 /—
5—	दाह संस्कार व अंतिम क्रियाकर्म हेतु	25,000 /—
6—	शव परिवहन व्यय के मद में	1000 /—
7—	पिता सुख से वंचित होने के मद में	25,000 /—
8—	साहचर्य की हानि के मद में	1,00,000 /—
9—	मोटर सायकिल नुकसानी मद में	20,000 /—
	कुल प्रतिकर	<b>7,11,000 /—</b>

38— अब प्रश्न यह है कि आवेदकगण उक्त राशि किससे पाने के पात्र है। अना.क्र. 1 वागरिया वाहन चालक, अना.क्र. 2 राधेश्याम राठोर वाहन स्वामी व अना.क्र. 3 बीमाकर्ता थे। बीमा पालिसी की शर्तों का उल्लंघन पाया गया है। ऐसी दशा में आवेदकगण प्रतिकर राशि अनावेदक क्र. 1 व 2 से संयुक्ततः एवं पृथक-पृथक रूप से पाने के पात्र है, किन्तु न्याय दृष्टांत नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमि. विरुद्ध कुसुम राय व अन्य 2006 ए.सी.जे. 1336 सु.को. आरियन्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमि. विरुद्ध अंगद कोल व अन्य 2009 ए.सी.जे. 1411, नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमि. विरुद्ध स्वर्णसिंह व अन्य 2004 ए.सी.जे. 1 सु.को. एवं युनाईटेड इंश्योरेंस कम्पनी लिमि. विरुद्ध गुमान व अन्य 2011 (2) एम.पी.डब्ल्यू.एन. 46 के प्रकाश में बीमा कम्पनी पहले आवेदकगण को उक्त राशि अदा कर अना. क्र. 1 व 2 से राशि वसूल कर सकेगी।

#### **वाद विषय क्रमांक 6 (क्लेम प्र.क्र. 11/15)**

39— आवेदक अमलेश को 10 प्रतिशत स्थाई अशक्तता कारित होना पायी गई है। अतः न्याय दृष्टांत मास्टर मल्लिकार्जुन विरुद्ध डी.एम. दि नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमि. व अन्य ए.आय.आर. 2014 सु.को. 736 के प्रकाश में आवेदक शारीरिक, मानसिक पीड़ा, आय की हानि आदि हेतु एक मुश्त **1,00,000 /—** रुपये प्रतिकर पाने का पात्र है।

40— जहां तक उपचार व्यय का प्रश्न है, आवेदक ने शिव हास्पीटल बोडेली की रसीदे प्र.पी.— 16 व 17 क्रमशः 22,000 व 17,500 कुल राशि रु. **39,500 /—** की प्रस्तुत की है तथा प्र.पी.—18 की दवाईयो की रसीद प्रस्तुत की गई है, किन्तु उसमें न तो दवाईयो का नम्बर ना ही बेच नम्बर, एक्सपाइरी डेट व डॉ. का नाम नहीं लिखा है, ऐसी दशा में आवेदक प्र.पी.—18 में दर्शित 4518 रु. पाने का पात्र नहीं है। अतः आवेदक उपचार मद में कुल राशि **39,500 /—** रुपये पाने का पात्र है।

क्लेम प्रकरण क्रमांक 10/2015 एवं  
समेकित क्लेम प्रकरण क्र. 11/2015

41— निश्चत ही बोडेली आने जाने में व्यय हुआ होगा एक अटेण्डर की आवश्यकता रही होगी, साथ ही विशेष आहार भी लिया होगा। अतः आवेदक आवागमन के मद में 3000/— रुपये, अटेण्डर मद में 3,000/— रुपये व विशेष आहार मद में 3,000/— रुपये प्रतिकर पाने का पात्र है।

42— कंडिका क्रमांक 38 में अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कम्पनी का कोई उत्तरदायित्व नहीं पाया गया है। अतः आवेदक अमलेश उक्त प्रतिकर राशि 1,48,500/— रुपये अनावेदक क्रमांक 1 व 2 से संयुक्ततः एवं पृथक पृथक प्राप्त करेगा।

#### सहायता एवं व्यय (क्लेम प्र.क्र. 10/15)

43— अस्तु उक्त विवेचन के आधार पर आवेदकगण अपनी साक्ष्य से अपना मामला अंशतः प्रमाणित करने में सफल रहे हैं। अतः अनावेदकगण के विरुद्ध दावा अंशतः स्वीकार व अंशतः निरस्त करते हुए निम्नानुसार अवार्ड पारित किया जाता है:—

**अ** आवेदकगण, कुल प्रतिकर राशि 7,11,000/— रुपये (सात लाख ग्यारह हजार रु. मात्र) अनावेदक क्र. 1 व 2 से संयुक्ततः एवं पृथक-पृथक पाने के पात्र हैं। अना.क्र. 3 आवेदकगण को उक्त प्रतिकर राशि का भुगतान करे और अना.क्र. 1 व 2 से संयुक्ततः एवं पृथक पृथक प्रवर्तन आवेदन प्रस्तुत कर वसूल कर सकेगा।

**ब** आवेदकगण दावा दायरी दिनांक 16.02.15 से अदायगी दिनांक तक (दिनांक 16.06.15 से दिनांक 17.07.15 व दिनांक 19.02.16 से दिनांक 08.03.16 तक की अवधि को छोड़कर जिसमें स्वयं आवेदकगण द्वारा विलम्ब कारित किया गया) उक्त प्रतिकर राशि पर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी प्राप्त करेंगे। दो माह में प्रतिकर राशि अदा न करने पर ब्याज दर 8 प्रतिशत वार्षिक होगी। अनावेदक क्र. 1 व 2 अदा करें।

**स** आवेदक क्रमांक 1 मृतक की पत्नी है जो कुल प्रतिकर राशि का 40 प्रतिशत प्राप्त करेगी। आवेदक क्रमांक 2, 3, 4, 5 व 6 मृतक की संताने है, जो कुल प्रतिकर राशि का 10-10 प्रतिशत व आवेदक क्र. 7 मृतक का पुत्र है, जो कुल प्रतिकर राशि का 10 प्रतिशत प्राप्त करेंगे। आवेदक क्रमांक 1 को प्राप्त होने वाली राशि में से 75,000/— रु. उसके बचत खाते में, और शेष राशि 10 वर्षीय सावधी जमा खाते में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा की जावेगी, जिस पर आवेदिका त्रैमासिक रूप से नियमित ब्याज पाने की पात्र है। आवेदक क्रमांक 2, 3, 4, 5 एवं 6 को प्राप्त होने वाली प्रतिकर राशि क्रमशः 5 वर्ष, 6 वर्ष 12 वर्ष, 15 वर्ष एवं 18 वर्ष की अवधि के लिये उनके सावधी खाते में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा की जावेगी, जिस पर अर्जित होने वाला ब्याज आवेदिका क्र. 1 इन आवेदकगण के भरण पोषण के लिये त्रैमासिक रूप से प्राप्त करेगी। आवेदक क्र. 7

क्लेम प्रकरण क्रमांक 10/2015 एवं  
समेकित क्लेम प्रकरण क्र. 11/2015

को प्राप्त होने वाली प्रतिकर राशि में से 25,000 रु. उसके बचत खाते में और शेष राशि उसके 3 वर्ष के सावधि जमा खाते में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा किये जावेगे।

(द). आवेदकगण के वाद व्यय के साथ साथ अना.क्र. 3 का भी अनावेदक क्र. 1 व 2 संयुक्त एवं पृथक-पृथक वहन करेंगे।

अभिभाषक शुल्क प्रमाणित होने की दशा में नियमानुसार आंका जावे। तदनुसार व्यय तालिका बनायी जावे।

**सहायता एवं व्यय (क्लेम प्र.क्र. 11/15)**

44— अस्तु उक्त विवेचन के आधार पर आवेदक अमलेश अपनी साक्ष्य से अपना मामला अंशतः प्रमाणित करने में सफल रहा हैं। अतः दावा अंशतः स्वीकार व अंशतः निरस्त कर, निम्नानुसार अवार्ड पारित किया जाता हैं:—

अ. आवेदक अमलेश कुल प्रतिकर **1,48,500/-** रुपये (एक लाख अड़तालिस हजार पांच सौ रु. मात्र) अनावेदक क्र. 1 व 2 से संयुक्ततः एवं पृथक-पृथक पाने का पात्र हैं। अना.क्र. 3 आवेदकगण को उक्त प्रतिकर राशि का भुगतान करे और अना.क्र. 1 व 2 से संयुक्ततः एवं पृथक पृथक प्रवर्तन आवेदन प्रस्तुत कर वसूल कर सकेगा।

ब. आवेदक अमलेश दावा दायरी दिनांक 16.02.15 से अदायगी दिनांक तक (दिनांक 16.06.15 से दिनांक 17.07.15 व दिनांक 19.02.16 से दिनांक 08.03.16 तक की अवधि को छोड़कर जिसमे स्वयं आवेदकगण द्वारा विलम्ब कारित किया गया) उक्त प्रतिकर राशि पर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी प्राप्त करेगा। दो माह में प्रतिकर राशि अदा न करने पर ब्याज दर 8 प्रतिशत वार्षिक होगी। अनावेदक क्र. 1 व 2 अदा करें।

स. आवेदक अमलेश को प्राप्त होने वाली प्रतिकर राशि में उपचार व्यय आदि की 48,500/- रु. की राशि उसकी मां/वैध संरक्षक भीखली बचत खाते के माध्यम से प्राप्त करेगी और शेष राशि आवेदक के 5 वर्ष के लिये सावधि जमा खाते में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा किये जावेगे।

द. आवेदक अमलेश के व्यय के साथ साथ अना.क्र. 3 का भी वाद व्यय अनावेदक क्र. 1 व 2 संयुक्त एवं पृथक-पृथक वहन करेंगे।

अभिभाषक शुल्क प्रमाणित होने की दशा में नियमानुसार आंका जावे। तदनुसार व्यय तालिका बनायी जावे।

स्थान:— अलीराजपुर

दिनांक— 24.08.2016

(राजेन्द्र कुमार वर्मा)  
सदस्य, मोटरयान दुर्घटना दावा  
अधिकरण, अलीराजपुर (म.प्र.)